(48)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/2012/198 दिनांकः– 15/02/12

परिपत्र क्रमांक – 14/2012

पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत प्रकरणों में विधिक सलाह प्राप्त की जाकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने के क्रम में दिशा–निर्देश

1. राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत निरीक्षणों एवं शिकायतों से संबंधित प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन विशेषज्ञ की विधिक सलाह प्राप्त करते हुये पूर्ण विधिक प्रारूप तैयार कर परिवाद प्रस्तुत किया जाना समीचीन है।
2. अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे परिवाद, वर्तमान में उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला समुचित प्राधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जाकर प्रस्तुत किये जा रहे है। जिला स्तर से प्रस्तुत किये जा रहे इन प्रकरणों में विधिक सलाह लिये जाने का कार्य संबंधित समुचित प्राधिकारी पर ही निर्भर है एवं जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयकों द्वारा भी अपने स्तर पर उनके ज्ञान के आधार पर प्रकरणों के परिवाद का प्रारूप तैयार कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जा रहे है फलस्वरूप इसमें प्रभावी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना समीचीन है।
3. यहाँ यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन है कि इस अधिनियम का उल्लघंन किया जाना संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनीय अपराध है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन लिये यह आवश्यक है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुसंधान में ठोस साक्ष्य एकत्रित कर विधिक सलाह के आधार पर अनुसंधान में रही कमियों की पूर्ति करते हुये परिवाद प्रस्तुत किये जावें ताकि प्रकरणों में सफलता प्राप्त की जाकर, अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
4. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) नियुक्त किया जा चुका है फलस्वरूप राज्य स्तर से प्रकरणों के अभियोजन का पर्यवेक्षण एवं विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) से प्रकरणों के संबंध में विधिक सलाह ली जाकर, परिवाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रकरणों में विधिक सलाह के आधार पर परिवाद प्रस्तुत करने को प्रशासनिक स्वीकृति विभिन्न स्तरों पर प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान

परिपत्र – 14/2012

(५८)

किये जाना भी समीचीन हैं ताकि राज्य स्तर से प्रकरणों के अभियोजन पर सुचारू पर्यवेक्षण करते हुये अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन किया जा सके।

5. राज्य में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद के प्रकरणों पर विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) से विधिक सलाह ली जाकर, अनुसंधान में रह रही कमियों की पूर्ति के पश्चात परिवाद ठोस साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये यह निर्देशित किया जाना समीचीन है कि परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक के साथ अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप में पत्रावली प्रभारी, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित कर, विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) की कानूनी राय प्राप्त की जावे तत्पश्चात कानूनी राय के अनुसार प्रकरण में रही कमियों की पूर्ति की जाकर, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जावें।
6. राज्य स्तर से विधिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के द्वारा अनुसंधान किये जाने वाले प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर के द्वारा प्रदान की जायेगी एवं जिला समुचित प्राधिकारी के द्वारा अनुसंधान किये जाने वाले प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी।
7. जिलों के प्रकरणों में राज्य स्तर से विधिक सलाह प्राप्त की जाने के पश्चात संबंधित समुचित प्राधिकारी की राय में प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक सलाह में किसी प्रकार का मतान्तर पाये जाने पर प्रकरण का निस्तारण करने से संबंधित अंतिम निर्णय अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशानुसार ही प्रदान किया जा सकेगा।
8. बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा अनुसंधान किये गये प्रकरणों में राज्य समुचित प्राधिकारी के निर्णय के पश्चात परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी।
9. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(बी. एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।

फरवरी 14/2012

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
4. श्री बी. के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीपसिंह, विधायक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।.
8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
10. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी), राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।
14. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
15. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
16. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र क्रमांक — 14/2012